

321

420

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व पाठल मध्य पृदेश ग्वालियर

कैम रोडा १८०४

215  
21-4.14



Rs 20/-

R-1583-1514

१. बाला प्रधान तन्य रामावतार राम ब्रा. उमे ६५ वर्ष,
  २. मुन्नालाल तन्य रामावतार राम ब्रा. उमे ६० वर्ष
  ३. श्रीमतीश्वरेभा पछण्डेय पट्टनो स्व. सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय उमे ४५वर्ष,
  ४. प्रौती पाण्डेय पुरी स्व. श्रीमतीसुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय उमे २५ वर्ष,

सीडर  
सर्किट कोर्ट रीवा

ଅନ୍ତମ

१. गंगा प्रसाद तन्य मुड़आम ब्रा. निवासोग्राम तिरीरगवा, तहसील चुरहट  
ज़िला सोधोइम-पु. १

२. मध्य प्रदेश शासन ----- गेर पुनरोक्षकर्त्तर्गण/उत्तर वाप  
गण

पुनरोऽण याचिका विलम्ब न्यायालय अपर

क्षेत्रफल सीधो के प्र.क्र.2 276/तन्नारानी/2011-

2012 आदेश दिनांक 29.3.2014 जिसके द्वारा

न्यायालय अपर क्लैक्टर साहब सोधा, जिला सोधा

मृम-पृ-१ ने नायब तहसोलदार तहसोल परहट

के प्र० फ० ५४/अ-१९/१२-७३ आदेश दिनांक-

24.9.1993 जिसके द्वारा पुनरोक्तिगण के

पक्ष में व्यवस्थापन स्वीकार किया गया था

निरस्त कर दिया गया है।

प्राचीन भूगोल भूविज्ञान 50 प.प. ५ अ. १९५९

22

~~ستادیوم~~

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक R-1583-II/14

जिला-सीधी

बालाराम ब्रा०/गंगा प्रसाद ब्रा०

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 276/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 29.03.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">४८</p> <p style="text-align: right;">           (बी.एम.शर्मा),          सदस्य       </p>	

